रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240090 CG-DL-E-07112022-240090

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717] No. 717] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 805(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा प्रभावित होने वाले सामान्य जन की सूचना के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाती है; और एततद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तिथि जब इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती है से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक व्यक्ति उसे लिखित रूप से केन्द्र सरकार के विचार के लिए ऊपर निदिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, को या ई-मेल के पते : mscb.cpcb@nic.in और soun.singh@gov.in पर भेज सकता है।

1. संक्षिप्त पद और आरम्भ:

- (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह पश्चात् लागू होंगे।

7364 GI/2022 (1)

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में क्रम संख्या 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी :-

क्र .सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"117	हॉट मिक्स संयंत्र	स्टैक उत्सर्जन में विविक्त कण सांर्द्रता (mg/Nm3)	
		बैच टाइप हॉट मिक्स संयत्र	150
		ड्रम टाइप हॉट मिक्स संयत्र	300

टिप्पणियां:

- i. हॉट मिक्स संयंत्रके लिए न्यूनतम स्टेक ऊंचाई की गणना इस प्रकार की जाएगी: स्टेक ऊंचाई (Hs) = 14
 (Q)0.3,जहांQ किलोग्राम/घण्टे में SO2उत्सर्जन दर है।
- ii. केवल एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्धारित स्वीकृत ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा।
- iii. माल की संभलाई से होने वाले धूल उत्सर्जन को पानी के छिड़काव अथवा धूल उत्सर्जन के स्थलों को ढककर नियंत्रित किया जाएगा।
- iv. परिसर के अंदर की सड़कों, कार्य किए जाने वाले प्लेटफार्म, लोर्डिंग तथा अनलोर्डिंग क्षेत्रों को पक्का किया जाएगा तथा हमेशा स्वच्छ रखा जाएगा।
- v. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्विन प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन किया जाएगा और श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- vi. परिधि के किनारे हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- vii. रोडि़यों में पुनर्चक्रित आसफाल्ट पेवमेंट (आरएसपी) के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
- viii. किसी भी प्रक्रिया की बेकार वस्तु अथवा हॉट मिक्स में शेषसामग्री का प्रक्रिया में पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए।
- xi. प्रचालन चरण के अंत में अर्थात् संयंत्र को हटाने के बाद कार्य-स्थल को पुन: बहाल किया जाए।
- x. एसपीसीबी/पीसीसी, उपलब्धप्रौद्योगिकी और मौजूदा पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर हॉट मिक्स संयंत्रों को अनुमति देने हेतु उनके आकार एवं क्षमता को निर्धारित कर सकते हैं।
- xi. एचएमपी को निम्नलिखित स्थान निर्धारण संबंधी मापदण्डों (एचएमपी) से स्थापित किया जाएगा।
 - क. शहरों और कस्बों की सीमा से 1 कि.मी. दूर,
 - ख. आवासों से 0.5 कि.मी. दूर,
 - ग. राष्ट्रीय या राज्य मार्गों (मध्य रेखा से) 0.2 कि.मी. दूर,
 - घ. विद्यालयों/कॉलेजों तथा मंदिरों से 0.5 कि.मी. दूर,
 - ङ. अस्पताल, अदालत तथा पर्यटन स्थल से 1 कि.मी. दूर
- xii. उपर्युक्त स्थल निर्धारण मापदण्डों को पूरा न करने वाले मौजूदा हॉट मिक्स संयंत्रों के मामले में, इकाई को प्लाट परिधि पर जीआई शीटों की न्यूनतम 6 मीटर ऊंची दीवार बनानी चाहिए।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

xiii. हॉट मिक्स संयंत्र नीचे उल्लिखित उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से युक्त होने चाहिए ताकि मानकों को प्राप्त करने के लिए इष्टतम दक्षता सनिश्चित की जा सके:

- क. ड्रम के प्रकार: वेट स्क्रबर सहित साइक्लोन/मल्टी-क्लोन
- ख. बैच के प्रकार: बैग फिल्टर्स सहित मल्टी-क्लोन

[फा. सं. क्यू-15017/14/2018-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियमों को दिनांक 19 नवम्बर, 1986 की संख्या का.आ. 844 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 5 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682 (अ) में अंतिम बार संशोधन किया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

G.S.R. 805(E). —In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) rules 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in

1. Short title and commencement.

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force after six months from the date of publication of final notification in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 116 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

S. No.	Industry	Parameter	Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"117	Hot Mix Plant	Particulate Matter Concentration (mg/Nm³) in stack emission		
		Batch type Hot Mix Plant	150	
		Drum type Hot Mix Plant	300	

Notes:

- i. The minimum stack height for Hot Mix Plant shall be calculated as: Stack height $(H_s) = 14(Q)^{0.3}$, where, Q is the SO₂ emission rate in kg/hr.
- ii. Only approved fuel prescribed by SPCBs/ PCCs shall be used.
- iii. Dust emission from material handling shall be contained with water sprinkling or by covering the points of dust emission.

- iv. The internal roads, working platform, loading and unloading areas in premises should be paved and kept clean all times.
- v. The Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 to be followed and workers shall be provided with personal protective equipments.
- vi. The green belt should be developed along the periphery.
- vii. Use of Recycled Asphalt Pavement (RSP) shall be allowed in the aggregates.
- viii. Any process rejects or left over of the hot mix should be recycled in the process.
- ix. The site shall be reinstated at the end of operation phase i.e. after dismantling the plant.
- x. SPCBs/ PCCs may decide the size& capacity to permit hot mix plants based on available technology and prevailing environmental conditions.
- xi. The HMP shall be installed from the following siting criteria (New HMPs)
 - a. 1 km from boundary of cities and towns,
 - b. 0.5 km from habitation,
 - c. 0.2 km from National or State Highways (from Centre Line),
 - d. 0.5 km from Schools/Colleges and temples,
 - e. 1 km from Hospital, court and tourist spot.
- xii. In case of existing hot mix plants not meeting above siting criteria, the unit should provide minimum 6 m high compound wall of GI sheets along plot periphery.
- xiii. The hot mix plant should be equipped with appropriate air pollution control devices as mentioned below so as to ensure optimum efficiency to achieve the standards:
 - a. Drum Type: Cyclone/multi-clones with wet scrubber
 - b. Batch Type: Multi-clones with bag filters

[F. No. Q-15017/14/2018 – CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November 1986 and last amended vide notification number G.S.R. 682 (E), dated the 5th September 2022.